राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड

विशेष बैठक दिनांक 11 जनवरी, 2021 के कार्य बिंदुओं से संबंधित कृत कार्यवाही

क्र. सं.	कार्य बिंदु	कृत कार्यवाही
1.	**शासन से संबंधित कार्य बिंदु**	
	(क) अटल पेंषन योजना अन्तर्गत राज्य में कार्यरत मनरेगा, आंगनवाड़ी एवं आषा कार्यकर्ताओं को आच्छादित किया जाना है। **(कार्यवाही : ग्राम्य विकास/महिला सशक्तिकरण/स्वास्थ्य विभाग)**	**(क)** सम्बन्धित विभाग से वांछित सूचना प्रतीक्षित है।
	(ख) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अन्तर्गत पुनः निर्धारित किये गये लक्ष्यों से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को अवगत करायेंगे। **(कार्यवाही : उद्योग विभाग)**	**(ख)** उद्योग विभाग से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अन्तर्गत पुनः निर्धारित किये गये लक्ष्य अग्रणी जिला प्रबन्धकों को, उनकी अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिये गये है।
	(ग) पर्यटन विभाग वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना एवं दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना अन्तर्गत तैयार पोर्टल की आई.डी. एवं पासवर्ड निम्नाकित हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को उपलब्ध करायेंगे : i) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड ii) समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धक, उत्तराखण्ड iii) समस्त बैंक नियंत्रक, उत्तराखण्ड iv) समस्त बैंक षाखा, उत्तराखण्ड **(कार्यवाही : पर्यटन विभाग)**	**(ग)** विभाग से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड, अग्रणी जिला प्रबन्धक एवं कुछ बैंक षाखाओं के आई. डी. पासवर्ड प्राप्त हुये है। बैंक नियंत्रक, उत्तराखण्ड एवं बैंक षाखाओं के आई.डी. एवं पासवर्ड विभाग से प्राप्त होने अवषेष हैं।
	(घ) सेवा प्रदत्त विभाग (विद्युत/जल संस्थान/बी.एस.एन.एल.) लेनदेन, डिजीटल मोड में करेंगे। (**कार्यवाही : विद्युत/जल संस्थान/बी.एस.एन.एल.)**	**(घ)** सम्बन्धित विभाग से वांछित सूचना प्रतीक्षित है।
	(ङ) आरसेटी संस्थानों द्वारा प्रषिक्षण पर व्यय की गयी लम्बित राषि रु. 54.45 लाख की प्रतिपूर्ति ग्राम्य विकास विभाग द्वारा की जानी है। **(कार्यवाही : ग्राम्य विकास विभाग)**	**(ङ)** विभाग द्वारा आरसेटी संस्थानों को उनके द्वारा प्रषिक्षण पर व्यय की गयी राषि का भुगतान किया जा रहा है। दिसम्बर, 2020 तक लम्बित राषि रु. 43.97 लाख की प्रतिपूर्ति अवषेष है।
	(च) लम्बित वसूली प्रमाण पत्रो (आर.सी.) के निस्तारण हेतु जिला अधिकारियों को पत्र प्रेषित किया जाना है। **(कार्यवाही : राजस्व विभाग)**	**(च)** सम्बन्धित विभाग से वांछित सूचना प्रतीक्षित है।
	(छ) सहकारी गन्ना विकास समिति द्वारा गन्ने का भुगतान किसानो के के.सी.सी. खाते में किया जायेगा तथा बिना बैंक की सहमति/एन.ओ.सी. के किसानो के खाते दूसरे बैंक में स्थानान्तरित नही किये जायेंगे, इस	**(छ)** सम्बन्धित विभाग से वांछित सूचना प्रतीक्षित है।

	विषयक सहकारी गन्ना विकास समिति को निर्देष जारी किया जाना है। **(कार्यवाही : सहकारिता विभाग)** **(ज)** दुग्ध संघों एंव दुग्ध उत्पादक कम्पनियों से संबंधित डेयरी फार्मर्स (Dairy Farmers) को किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्तता (KCC Saturation) अभियान के अंतर्गत प्रगति की अनुवर्ती कार्यवाही हेतु विभाग द्वारा बैंक नियंत्रकों को आई.डी. एवं पासवर्ड जारी किया जाना है। **(कार्यवाही : डेयरी विभाग)** **(झ)** कृषकों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने हेतु कृषि विभाग माह जनवरी, 2021 में बैठक आयोजित करेंगे, जिसमें कार्य योजना बनाने हेतु विचार विमर्ष किया जायेगा। **(कार्यवाही : कृषि विभाग)**	**(ज)** सम्बन्धित विभाग से वांछित सूचना प्रतीक्षित है। **(झ)** निदेषक कृषि, उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड कृषि अवसंरचना निधि, कृषकों की आय दोगुना करना तथा उद्यान विभाग से सम्बन्धित विषय की समीक्षा बैठक मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में 12 फरवरी, 2021 को आहूत की गयी है।
2.	**नाबार्ड से संबंधित कार्य बिंदु:** भारत सरकार द्वारा जारी की गयी योजना Financing facility under Agriculture Infrastructure Fund (AIF) के प्रचार प्रसार हेतु, नाबार्ड द्वारा राज्य के प्रत्येक जिला स्तर पर वर्कषॉप आयोजित किया जाना है।	Financing facility under Agriculture Infrastructure Fund (AIF) विषयक वर्कषॉप, जिला स्तरीय स्टेकहोल्डर्स के साथ जिले के मुख्य कृषि अधिकारियों द्वारा आयोजित किया जाना है, जिसकी सूचना प्रतीक्षित है।
3.	**अग्रणी जिला प्रबन्धकों से संबंधित कार्य बिंदु :** जिले में कार्यरत बैंक षाखाओं में सरकार प्रायोजित विभिन्न ऋण योजना अन्तर्गत लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण समय अवधि में बैंक षाखाओं से करायेंगे तथा योजना अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करेंगे।	अग्रणी जिला प्रबन्धकों द्वारा बैंक षाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों को निस्तारित करवाने एवं योजना अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास किये जा रहे है।
4.	**बैंकों से संबंधित कार्य बिंदु :** **(क)** बैंक समस्त खाताधारकों को SMS के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी प्रदान करेंगे। **(ख)** बैंक PMJDY के तहत खोले गये बचत खातों में आधार सीडिंग की संख्या बढ़ायेंगे। **(ग)** बैंक अवषेष 1044 बी.सी. के लिए ऑनलाइन सार्टिफिकेट कोर्स पूर्ण कराने की व्यवस्था करेंगे, ताकि सभी B.C. का IIBF द्वारा Certification हो जाये। **(घ)** मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अन्तर्गत पोर्टल में	**(क)** उक्त विषयक बैंकों से वांछित सूचना प्रतीक्षित है। **(ख)** बैंकों द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक PMJDY के तहत खोले गये 28,35,493 बचत खातों में आधार सीडिंग की संख्या 21,91,045 हो गयी है, जो कि 81.64 प्रतिषत है। **(ग)** 31 दिसम्बर, 2020 तक बैंकों में 2202 एक्टिव बी.सी. में से 1539 बी.सी. द्वारा सार्टिफिकेषन कोर्स किया जा चुका है तथा 1051 बी.सी. द्वारा बी.सी. सार्टिफिकेषन कोर्स किया जाना अवषेष है। **(घ)** योजना अंतर्गत बैंकों द्वारा 8 जनवरी, 2021 तक

	स्वीकृत ऋण आवेदन पत्रों का षीघ्र वितरण कर, मार्जिन मनी क्लेम ऑन लाइन submit करेंगे। आवेदकों को EDP Offline/Online प्रषिक्षण प्राप्त करने हेतु कहेंगे।	2665 आवेदकों को रु. 96.44 करोड़ के ऋण स्वीकृत किये गये हैं। बैंकों द्वारा मार्जिन मनी क्लेम ऑन लाइन submit किया जा रहा है तथा आवेदकों को EDP Training Offline/Online प्राप्त करने हेतु कहा गया है।
	(ङ) प्रधानमंत्री फेरी व्यवसायियों हेतु आत्मनिर्भर निधि योजना अंतर्गत पोर्टल में दर्ज ऋण आवेदन पत्रों का माह फरवरी, 2021 तक यू.एल.बी. से सहयोग प्राप्त कर निस्तारण करेंगे। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेषनल बैंक एवं बैंक ऑफ बड़ौदा योजना अन्तर्गत वांछित प्रगति दर्ज करेंगे।	**(ङ)** योजना अंतर्गत माह दिसम्बर, 2020 तक 7790 आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये हैं, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 1820, पंजाब नेषनल बैंक द्वारा 2422 एवं बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 996 ऋण स्वीकृत किये गये हैं।
	(च) पी.एम.ई.जी.पी. योजना अन्तर्गत पोर्टल में दर्ज ऋण आवेदन पत्रों का समय अवधि में निस्तारण करेंगे तथा प्रथम किस्त निस्तारण के पष्चात मार्जिन मनी क्लेम ऑन लाईन submit करेंगे। आवेदक को EDP Offline/Online प्रषिक्षण प्राप्त करने हेतु कहेंगे।	**(च)** दिनांक 31/12/2020 तक बैंकों द्वारा वार्षिक लक्ष्य 1326 के सापेक्ष 1895 इकाईयां वित्तपोषित की गयी है। बैंकों द्वारा रु. 25.04 करोड़ मार्जिन मनी क्लेम लॉज किया गया है तथा रु. 20.95 करोड़ मार्जिन मनी वितरित कर दी गयी है। आवेदकों को EDP Training Offline/Online प्राप्त करने हेतु कहा गया है।
	(छ) एन.आर.एल.एम. एवं स्पेषल कम्पोनेंट प्लान योजना अन्तर्गत ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण पोर्टल में दर्ज करेंगे।	**(छ)** दिनांक 31/12/2020 तक बैंकों द्वारा एन.आर.एल.एम. योजना अंतर्गत 5529 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत कर पोर्टल में दर्ज कर लिये गये हैं एवं स्पेषल कम्पोनेंट प्लान योजना अन्तर्गत 662 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये हैं।
	(ज) सरकार प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं यथा : एन.आर.एल.एम., एन.यू.एल.एम., वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार, पी.एम.ई.जी.पी., स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों का निर्धारित समय सीमा में निस्तारण करेंगे।	**(ज)** वित्तीय वर्ष 2020-21 के तृतीय त्रैमास में बैंकों को आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी है :

योजना	लक्ष्य	स्वीकृत
एन.आर.एल.एम.	9740	5529
एन.यू.एल.एम.	772	557
वी.सी.एस.जी.वाई.	वाहन : 147	76
	गैर–वाहन : 153	29
होम स्टे	300	83
एस.सी.पी.	एस.सी. : 732	620
	एस.टी. : 100	24
	अल्पसंख्यक : 177	18
पी.एम.ई.जी.पी.	1326	1895
पी.एम.ए.वाई.	3000	1138

	(झ) वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना अन्तर्गत गैर–वाहन मद में तथा मुद्रा योजना अन्तर्गत प्रगति दर्ज करेंगे।	**(झ)** वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना अन्तर्गत गैर–वाहन मद में 29 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये हैं तथा मुद्रा योजना अन्तर्गत 1,16,608 आवेदकों को रु. 1631.06 करोड़ ऋण स्वीकृत किये गये है।
	(ञ) जिला अल्मोड़ा में डिजिटल वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देने हेतु सेवा प्रदत्त विभागों को ऑन लाईन बैंकिंग सुविधायें प्रदान करेंगें।	**(ञ)** जिला अल्मोड़ा में सेवा प्रदत्त विभागों को बैंकों द्वारा ऑन लाईन बैंकिंग सुविधायें प्रदान की जा रही है।

	(ट) कोटक महिन्द्रा बैंक, एक्सेस बैंक एवं राज्य सहकारी बैंक Standardized System (Block wise mapping) का कार्य 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण करेंगे।	**(ट)** कोटक महिन्द्रा बैंक, एक्सेस बैंक एवं राज्य सहकारी बैंक में Standardized System (Block wise mapping) का कार्य प्रगतिषील है।
	(ठ) के.सी.सी. डेयरी के ऋण आवेदन पत्रों को पी.एम. एफ.बी.वाई. पोर्टल में अपलोड करेंगे। डेयरी फेडरेषन से प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों का मिलान करेंगे।	**(ठ)** बैंक षाखाओं द्वारा योजना अंतर्गत प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों को पी.एम.एफ.बी.वाई. पोर्टल में अपलोड करने एवं विभाग से ऋण आवेदन पत्रों का मिलान करने सम्बन्धी कार्य प्रगतिषील है।
	(ड) राज्य सरकार द्वारा आरसेटी संस्थानों को भवन निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी भूमि पर बैंक सी.एस. आर. फण्ड से आरसेटी हेतु भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ करेंगे।	**(ड)** उक्त विषयक सम्बन्धित बैंकों द्वारा आरसेटी संस्थानों हेतु भवन निर्माण सम्बन्धी औपचारिकतायें प्रगतिषील हैं।
	(ढ) क्षेत्रीय प्रबन्धक (नोडल अधिकारी), भारतीय स्टेट बैंक, अल्मोड़ा जिले के Merchants/Traders/Public Utilities का Field Level Survey कर डाटा तैयार कर, जिले में कार्यरत बैंकों को तदनुसार डिजीटाईजेषन हेतु लक्ष्य आबंटित करेंगे। **(कार्यवाही – क्षेत्रीय प्रबन्धक (नोडल अधिकारी), भारतीय स्टेट बैंक, अल्मोड़ा)**	**(ढ)** उक्त विषयक क्षेत्रीय प्रबन्धक (नोडल अधिकारी), भारतीय स्टेट बैंक, अल्मोड़ा से सूचना प्रतीक्षित है।
	(ण) जिला उद्यम सिंह नगर में कृषकों से opt out फार्म प्राप्त कर कम कृषकों को बीमित किया गया था। कम कृषकों को बीमित किये जाने विषयक जांच हेतु गठित कमेटी द्वारा उजागर तथ्यों की पुनरावृति अन्य जिलों में ना हो, इस बाबत राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक को advisory जारी करेंगे **(कार्यवाही – राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड)**	**(ण)** राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा उक्त विषयक राज्य सहकारी बैंक को पत्र प्रेषित किया गया है।

****